2022/228

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट

श्री नरसिंह पुत्र श्री बिहारीमल
जाति राजपुरोहित
निवासी पुराडा पोस्ट पोमावा
तहसील सुमेरपुर जिला पाली।

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 26 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
16.05.2022	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 04.04.2022 एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया गया कि दिनांक 07.03.2022 को अपीलार्थी एवं समस्त ग्राम पुराडा की ओर से उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर को एक ज्ञापन दिया गया, जिसकी एक प्रति अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को भी दी गई। उक्त ज्ञापन पर अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा की गई समस्त कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 04.04.2022 एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया गया कि दिनांक 07.03.2022 को अपीलार्थी एवं समस्त ग्राम पुराडा की ओर से उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर को एक ज्ञापन दिया गया, जिसकी एक प्रति अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को भी दी गई। उक्त ज्ञापन पर अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा की गई समस्त कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक 267 दिनांक 12.05.2022 के द्वारा अपीलांट को सूचना उपलब्ध करवा [illegible] अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जा[illegible]र से कम हो । Signature Not Verified Digitally signed by Bhanwar Lal Date: 2023.03.01 13:13:44 IST Reason: SelfAttested (डॉ. भँवर ला[illegible]) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner